

संसद एकक

मंत्रालय की संसद एकक मंत्रालय की संसद से संबंधित काम के लिए नोडल इकाई है। यह मंत्रालय, लोकसभा, राज्य सभा एवं संसदीय मामलों के मंत्रालय के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। संसद एकक के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं: -

1. मंत्रालय के विधायी प्रस्तावों के लिए समन्वयन कार्य।
2. लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए संसदीय प्रश्नों/विधेयकों/संकल्पों/ मामलों तथा लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय से विशेष उल्लेख के माध्यम से प्राप्त राज्य सभा/ आश्वासनों/ कम अवधि के नोटिस प्रश्न/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नोटिस आदि सभी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण संसद पत्रों का आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संग्रह/ वितरण/ अग्रेषण।
3. संसद सत्र के लिए लोक सभा/ राज्य सभा/ सामान्य निर्देश की बैठकों का कैलेंडर जारी करना।
4. सत्र की अवधि के दौरान संसद भवन/एनेक्सी में प्रवेश के लिए आधिकारिक गैलरी कार्ड/ प्रवेश पत्र/ सामान्य प्रवेश पत्र तथा कार पार्क लेबल्स की व्यवस्था।
5. संसदीय प्रश्न और अन्य संसद मामलों के संबंध में लोकसभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/ संसदीय मामलों के मंत्रालय के साथ संपर्क।
6. संसदीय प्रश्नों की फ़ाइलों की आवाजाही की निगरानी।
7. लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय (एलएसएस/ आरएसएस) और प्रेस सूचना ब्यूरो को, संसद में माननीय मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले संसदीय प्रश्नों का अंतिम उत्तर टाइप करना तथा उत्तरों की प्रतियों की अपेक्षित संख्या तथा बयान जारी करना।
8. मंत्रियों/वरिष्ठ अधिकारियों और संसद में तारांकित प्रश्नों और अन्य कार्य के संबंध में पैड की तैयारी के लिए प्रासंगिक कागजात के तारांकित प्रश्न/संग्रह के लिए वार्ता बैठक की व्यवस्था।
9. एलएसएस/ आरएसएस को संसद प्रश्नों के उत्तरों का ई मेल।
10. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के संबंध में अधिकारियों की ड्यूटी रोस्टर तैयार करना।
11. लोक सभा/राज्य सभा में लंबित संसदीय आश्वासनों के सांख्यिकीय आंकड़े बनाए रखना।
12. केन्द्रीय अधिनियमों के तहत नियम तय करने में देरी के बारे में कानून मंत्रालय को तिमाही रिपोर्ट भेजना।

13. अधीनस्थ विधानों का वार्षिक विवरण संकलन।
14. श्रम एवं रोजगार से सम्बद्ध सलाहकार समिति की बैठकों की व्यवस्था करना, नोटिसों, मसौदों तथा कार्यवृत्तों इत्यादि की व्यवस्था एवं परिचालन।
15. अधीनस्थ विधान/सरकारी आश्वासनों और रखे गए पत्रों इत्यादि पर समितियों की टिप्पणियों/सिफारिशों अग्रगण्य ।
16. मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सभी अन्य संसदीय मामलों को सभी अनुभागों को भेजना।

चैनल में अधिकारी

- (i) श्रम एवं रोजगार सलाहकार (एल ई ए)
- (ii) निदेशक/उप सचिव
- (iii) अवर सचिव
- (iv) अनुभाग अधिकारी
- (v) संसद सहायक